प्रेषक

विमल प्रकाश आर्य
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय)
(चौदहवी वित्तीय आयोग योजनान्तर्गत गठित)
झाँसी ।

सेवा में

श्रीमान प्रभारी अधिकारी नजारत,
जिला न्यायालय, झासी ।

विषय

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ त्वरित न्यायालय (चौदहवी वित्तीय आयोग योजनान्तर्गत गठित) झाँसी, के विश्राम कक्ष, शौचालय, न्यायालय कक्ष एवं आशुलिपिक कक्ष में साफ- सफाई न किये जाने व सेनेटाइज न किये जाने के संबंध में ।

महोदय

सादर अवगत कराना है कि दिनांक 11. 06. 2020 से आज की तिथि तक मेरे विश्राम कक्ष, शौचालय, न्यायालय कक्ष व आशुलिपिक कक्ष में कोई सफाई कर्मचारी साफ- सफाई करने के लिए नहीं आ रहा है और न ही सेनेटाइज किया जा रहा है। इस संबंध में रीडर द्वारा अवगत कराया गया था कि कोई सफाई कर्मचारी यहाँ कई दिनों से नहीं आ रहा है ।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि संबंधित सफाई कर्मचारी को मेरे विश्राम कक्ष, शौचालय, न्यायालय कक्ष एवं आशुलिपिक कक्ष में साफ- सफाई करने एवं सेनेटाइज करने हेतु आदेशित करने की कृपा करें और इतने दिनों से साफ- सफाई न किये जाने व सेनेटाइज न किये जाने की बावत दोषी व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही करने की कृपा करे ।

सादर ।

भवदीय

22.06.2020

(विमल प्रकाश आर्य)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय)
(चौदहवीं वित्तीय आयोग योजनान्तर्गत गठित) झाँसी ।

दिनांक- 22. 06. 2020

Sri
Received.
22.6.20

द्वितीय स्मृति- पत्र

प्रेषक

विमल प्रकाश आर्य
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय)
(चौदहवीं वित्तीय आयोग योजनान्तर्गत गठित)
झाँसी।

सेवा में

श्रीमान प्रभारी अधिकारी नजारत,
जिला न्यायालय, झांसी।

विषय

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ त्वरित न्यायालय (चौदहवीं वित्तीय आयोग योजनान्तर्गत गठित) झाँसी, के विश्राम कक्ष शौचालय, न्यायालय कक्ष एवं आशुलिपिक कक्ष में साफ- सफाई न किये जाने व सेनेटाइज न किये जाने के संबंध में।

महोदय

सादर अवगत कराना है कि सफाई कर्मचारी द्वारा मेरे विश्राम कक्ष व शौचालय की साफ- सफाई न किये जाने के संबंध में मेरे द्वारा दिनांक- 22. 06. 2020 एवं 24. 06. 2020 को पत्र प्रेषित किया गया था और आज भी किसी सफाई कर्मचारी द्वारा मेरे विश्राम कक्ष व शौचालय की साफ- सफाई नहीं की गयी है।

सूचना श्रीमान जी की सेवा में ससम्मान कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित।

भवदीय

25.06.2020

(विमल प्रकाश आर्य)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय)
(चौदहवीं वित्तीय आयोग योजनान्तर्गत गठित) झाँसी।

दिनांक- 25. 06. 2020

Sir
Recvd.
25.6.20

प्रेषक

विमल प्रकाश आर्य
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय)
(चौदहवीं वित्तीय आयोग योजनान्तर्गत गठित)
झाँसी ।

सेवा में

श्रीमान प्रभारी अधिकारी नजारत,
जिला न्यायालय, झांसी ।

विषय

मेरे आवास सं०- B- 6 जजेस कलॉनी, सदर बाजार, झांसी के टेलीफोन [नजारत द्वारा उपलब्ध कराये गये न०- (0510- 2370029)] व इण्टरनेट सही कराने के संबंध में ।

महोदय

सादर अवगत कराना है कि जब से मैंने उक्त आवास का कब्जा प्राप्त किया है, तभी से उक्त आवास में लगा टेलीफोन खराब(डैड) है जो अभी तक सही नहीं हुआ है ।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त आवास के टेलीफोन [नजारत द्वारा उपलब्ध कराये गये न०- (0510- 2370029)] को सही कराने व इण्टरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

सादर ।

भवदीय

26.06.2020

(विमल प्रकाश आर्य)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय)
(चौदहवीं वित्तीय आयोग योजनान्तर्गत गठित) झाँसी ।

दिनांक- 26. 06. 2020

Received
26.6.2020

9450067727 [illegible]

प्रेषक

विमल प्रकाश आर्य
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय)
(चौदहवीं वित्तीय आयोग योजनान्तर्गत गठित)
झाँसी।

सेवा में

श्रीमान अधिशासी अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
झांसी।

विषय

आवास सं०- B- 6 जजेस कलोनी सदर बाजार, झांसी में लगे 1000 लीटर व 500 लीटर के पानी के टैंक बदलने के संबंध में।

महोदय

अवगत कराना है कि आवास सं०- B- 6 जजेस कलोनी सदर बाजार, झांसी मुझे आवंटित हुआ है, जिसमें मैं निवास कर रहा हूँ। उक्त आवास में लगे पानी के दो टैंक क्रमशः 1000 लीटर व 500 लीटर के जर्जर व खराब स्थिति में है, जिनमें पानी नहीं रूक पा रहा है और उक्त टैंकों को बदलने की आवश्यकता है।

अतः आपसे निवेदन है कि उक्त टैंकों को अविलम्ब बदलवाने की कृपा करें।

भवदीय

[signature] 03.07.2020

दिनांक- 03. 07. 2020

(विमल प्रकाश आर्य)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय)
(चौदहवीं वित्तीय आयोग योजनान्तर्गत गठित) झाँसी।

प्रतिलिपिः-

1- श्रीमान प्रभारी अधिकारी नजारत, जिला न्यायालय, झांसी को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

[signature]

दिनांक- 03. 07. 2020

(विमल प्रकाश आर्य)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय)
(चौदहवीं वित्तीय आयोग योजनान्तर्गत गठित) झाँसी।

1. PWD [signature] 03-7-2020

2. [signature] 3.7.20

o/c

स्मृति- पत्र द्वितीय

प्रेषक विमल प्रकाश आर्य
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) ,झाँसी
(चौदहवी वित्तीय आयोग योजनान्तर्गत गठित) ।

सेवा में श्रीमान प्रभारी अधिकारी (दूरभाष)
जिला न्यायालय, झांसी।

विषय मेरे आवास सं०- B- 6 जजेस कलॉनी, सदर बाजार, झासी के टेलीफोन [नजारत द्वारा उपलब्ध कराये गये न०- (0510- 2370029)] व इण्टरनेट सही कराने के संबंध में।

महोदय

अत्यन्त खेद के साथ अवगत कराना है कि जब से मैंने उक्त आवास का कब्जा प्राप्त किया है, तभी से उक्त आवास में लगा टेलीफोन खराब(डैड) है जो अभी तक सही नहीं हुआ है। इस संबंध में मेरे द्वारा कई बार मौखिक रूप से अवगत कराया गया, उसके उपरान्त भी टेलीफोन सही नही हुआ, तब मेरे द्वारा दिनांक-26.06.2020 को लिखित में अवगत कराया गया व उसके पश्चात भी टेलीफोन सही न होने पर मेरे द्वारा दिनांक-07.08.2020 को प्रथम स्मृति-पत्र प्रेषित किया गया, लेकिन अभी तक उक्त टेलीफोन सही नहीं हुआ है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त आवास के टेलीफोन [नजारत द्वारा उपलब्ध कराये गये न०- (0510-2370029)] को सही कराने व इण्टरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने की कृपा करें।

सादर।

भवदीय

25.08.2020

दिनांक- 25. 08. 2020

(विमल प्रकाश आर्य)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) ,झाँसी
(चौदहवीं वित्तीय आयोग योजनान्तर्गत गठित) ।

प्रतिलिपिः-

श्रीमान जनपद न्यायाधीश झांसी को सादर सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

दिनांक- 25. 08. 2020

(विमल प्रकाश आर्य)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) ,झाँसी
(चौदहवीं वित्तीय आयोग योजनान्तर्गत गठित) ।

Note — दिनांक 25.08.2020 को डाक बही में चढ़वाकर भिजवाया गया।

स्मृति- पत्र द्वितीय

प्रेषक विमल प्रकाश आर्य
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) ,झाँसी
(चौदहवीं वित्तीय आयोग योजनान्तर्गत गठित) ।

सेवा में श्रीमान प्रभारी अधिकारी (दूरभाष)
जिला न्यायालय, झांसी।

विषय मेरे आवास सं०- B- 6 जजेस कलॉनी, सदर बाजार, झांसी के टेलीफोन [नजारत द्वारा उपलब्ध कराये गये न०- (0510- 2370029)] व इण्टरनेट सही कराने के संबंध में।

महोदय

अत्यन्त खेद के साथ अवगत कराना है कि जब से मैंने उक्त आवास का कब्जा प्राप्त किया है, तभी से उक्त आवास में लगा टेलीफोन खराब(डैड) है जो अभी तक सही नहीं हुआ है। इस संबंध में मेरे द्वारा कई बार मौखिक रूप से अवगत कराया गया, उसके उपरान्त भी टेलीफोन सही नहीं हुआ, तब मेरे द्वारा दिनाक-26.06.2020 को लिखित मे अवगत कराया गया व उसके पश्चात भी टेलीफोन सही न होने पर मेरे द्वारा दिनांक-07.08.2020 को प्रथम स्मृति-पत्र प्रेषित किया गया, लेकिन अभी तक उक्त टेलीफोन सही नहीं हुआ है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त आवास के टेलीफोन [नजारत द्वारा उपलब्ध कराये गये न०- (0510-2370029)] को सही कराने व इण्टरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने की कृपा करें।

सादर।

भवदीय

दिनांक- 25. 08. 2020

(विमल प्रकाश आर्य)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) ,झाँसी
(चौदहवीं वित्तीय आयोग योजनान्तर्गत गठित) ।

प्रतिलिपिः-
श्रीमान जनपद न्यायाधीश झांसी को सादर सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय
25.08.2020

दिनांक- 25. 08. 2020

(विमल प्रकाश आर्य)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) ,झाँसी
(चौदहवीं वित्तीय आयोग योजनान्तर्गत गठित) ।

प्रेषक विमल प्रकाश आर्य
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
(F.T.C.) झाँसी।
(C/u 14th Finance Commission)।

सेवा में मा0 जनपद न्यायाधीश
झाँसी।

विषय :श्रीमान अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0 01 झाँसी को आवटिंत आवास, आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

ससम्मान निवेदन करना है कि मुझे आवास सं0 बी–6 जजेज कम्पाउण्ड सदर बाजार आवंटित है। उक्त आवास आवंटित किये जाने के समय से ही उक्त आवास में सदैव पानी की समस्या रहती है, अक्सर उक्त आवास में पानी न होने के कारण व्यथित होना पड़ता है, इसके अतिरिक्त मेरे बच्चे माउन्ट लिटेरा जी स्कूल, थाना प्रेमनगर में अध्ययनरत हैं, और बच्चों को भी परीक्षा व अन्य अवसरों पर उक्त स्कूल में जाना पड़ता है, जो उक्त आवास से अत्यधिक दूर है, एवं वाहन की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। श्रीमान अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0 01 झाँसी का स्थानांतरण जनपद झाँसी से हो चुका है। श्रीमान अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0 01 झाँसी द्वारा आवास खाली किये जाने पर यदि श्रीमान अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0 01 झाँसी को आवटिंत आवास, मुझे आवंटित हो जाता है तो मेरी उपरोक्त समस्याओं का निराकरण हो सकता है।

अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि मेरी उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए श्रीमान अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0 01 झाँसी द्वारा आवास खाली किये जाने पर उक्त आवास मुझे आवंटित करने की कृपा करने का कष्ट करें।

सादर।

भवदीय
8.04.2021
(विमल प्रकाश आर्य)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
(F.T.C.) झाँसी।
(C/u 14th Finance Commission)।

दिनाँक 08.04.2021

Recd Copy
8/4/21

प्रेषक विमल प्रकाश आर्य
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
(F.T.C.) झाँसी।
(C/u 14th Finance Commission)।

सेवा में मा0 जनपद न्यायाधीश
झाँसी।

विषय : मेरे आवास B-6 जजेज कम्पाउन्ड में पानी न आने देने, पानी के टैंक को क्षतिग्रस्त कर दिये जाने व अन्य कोई आवास आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

ससम्मान निवेदन करना है कि मेरे उक्त आवास में पानी सही से न आ पाने की सदैव समस्या बनी रहती है, बस किसी तरह से गुजर–बसर हो रही थी। जनपद झाँसी से कुछ न्यायिक अधिकारियों के अन्यत्र स्थानांतरण होने व आवास खाली होने की स्थिति में एक आवास आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में मेरे द्वारा दि0 08.04.2021 को एक प्रार्थनापत्र दिया गया था।

यह कि मैं दि0 09.04.2021 से अस्पताल में अपेन्डिक्स के आपरेशन के लिए भर्ती था, कि मेरे अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान मेरे पुत्रों द्वारा दि0 10.04.2021 को दोपहर में लगभग 14:16 बजे फोन से अवगत कराया गया कि श्रीमती ममता गुप्ता के पति प्लम्बर को लेकर आये और उन्होंने अपने टैंकों की फिटिंग चैक करायी और उसमें कोई कैमिकल भी डलवाया साथ ही मेरे पानी के टैंकों को भी चैक कराया और उनमें भी कोई कैमिकल डलवाया और तभी से मेरे आवास में लगे पानी के टैंकों में पानी नहीं आ रहा है। श्रीमती ममता गुप्ता के पति ने मेरे पानी के प्लास्टिक के 1000 ली0 क्षमता के सरकारी टैंक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। मेरे पानी के टैंकों में जो भी बचा हुआ पानी था उसी से किसी तरह काम चल रहा था, बचा हुआ उक्त पानी आज खत्म हो गया है। इस समय मेरे पास न तो पीने के लिए और न ही भोजन के लिए और न ही अन्य कार्य आदि के लिए पानी शेष है। आज दि0 17.04.2021 को श्री नितेन्द्र कुमार के तीन टैंक व श्रीमती ममता गुप्ता के दो टैंकों में पानी भरा हुआ है, लेकिन मेरे तीन में से किसी भी टैंक में पानी नहीं है। मेरे उक्त टैंकों में किसी भी प्रकार का पानी नहीं आ रहा है।

मेरा दि0 09.04.2021 को आपरेशन हुआ है, डाक्टर ने मुझे कुछ माह तक सीढ़ियॉ चढ़ने–उतरने से मना किया है और अत्यधिक सावधानी से सीढ़ियॉ चढ़ने–उतरने की सलाह दी है। मेरा उक्त आवास तृतीय मंजिल पर है।

अतः मा0 महोदया से निवेदन है कि सरकारी पाईप लाईन व सरकारी टैंक को क्षतिग्रस्त करने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्व उचित कार्यवाही करने व मेरी उपरोक्त समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मुझे अन्य कोई भी आवास जो मा0 महोदया की दृष्टि में उचित हो, आवंटित करने की कृपा करें।

सादर।

भवदीय

17.04.2021

(विमल प्रकाश आर्य)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
(F.T.C.) झाँसी।
(C/u 14th Finance Commission)।

दिनॉक 17.04.2021
संलग्नक:
दि0 08.04.2021 को प्रेषित प्रार्थनापत्र की छायाप्रति।

l-(12)

प्रेषक

विमल प्रकाश आर्य
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) , झाँसी ।
(चौदहवी वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

सेवा में

श्रीमान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०- 8/
प्रभारी अधिकारी नजारत, झांसी ।

विषय

आवास सं०- B- 6 जजेस कालोनी सदर बाजार, झांसी में स्थित सरकारी टैंक व पाईप लाइन को क्षतिग्रस्त किये जाने के संबंध में सूचना ।

महोदय

ससम्मान निवेदन करना है कि मेरे आवास सं०- B- 6 जजेस कालोनी सदर बाजार, झासी में स्थित सरकारी टैंक व पाईप लाइन को क्षतिग्रस्त किये जाने के संबंध मे मेरे द्वारा दिनांक- 17. 04. 2021 को सूचना माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को दी गयी थी। दिनांक- 12. 05. 2021 को श्रीमती ममता गुप्ता के पति द्वारा मेरे सरकारी पाईप लाइन व सरकारी टैंक में लगे कनेक्शन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस संबंध मे प्रभारी अधिकारी, नजारत को मौखिक सूचना दी जा चुकी है और प्रभारी अधिकारी नजारत व केन्द्रीय नाजिर द्वारा इस बावत निरीक्षण भी किया जा चुका है।

सरकारी टैंक व पाईप लाइन में जो क्षति कारित की गयी है, उसे संलग्न फोटोग्राफ में लाल पैन से लाल घेरे में अंकित किया गया है।

सादर सूचनार्थ।

भवदीय

18.05.2021

दिनांक- 18. 05. 2021

(विमल प्रकाश आर्य)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय)
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) झाँसी।

संलग्नकः-
फोटोग्राफ (Black & White) कुल (06) ।

(1)

संलग्नक (२)

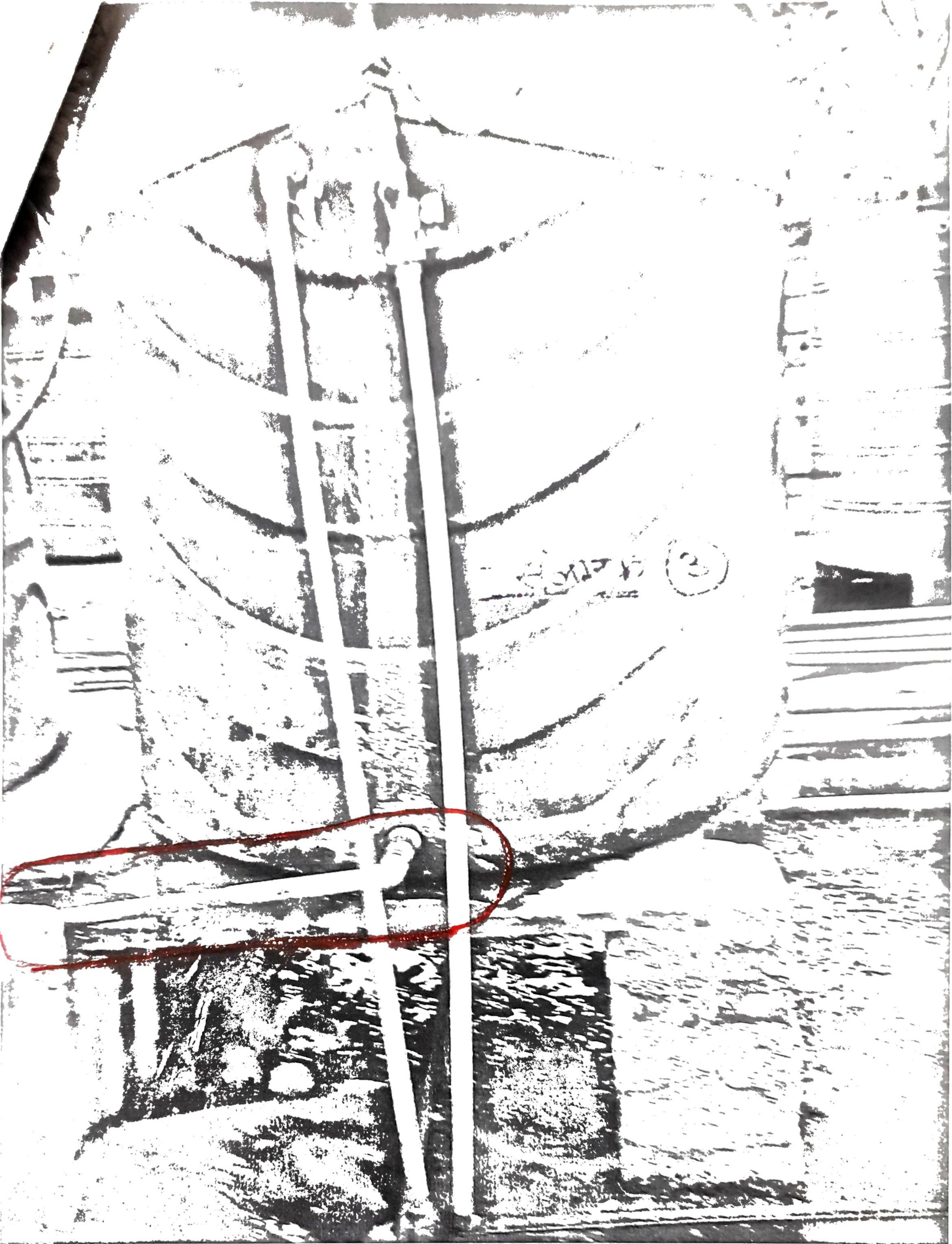

अनुलग्नक (4)

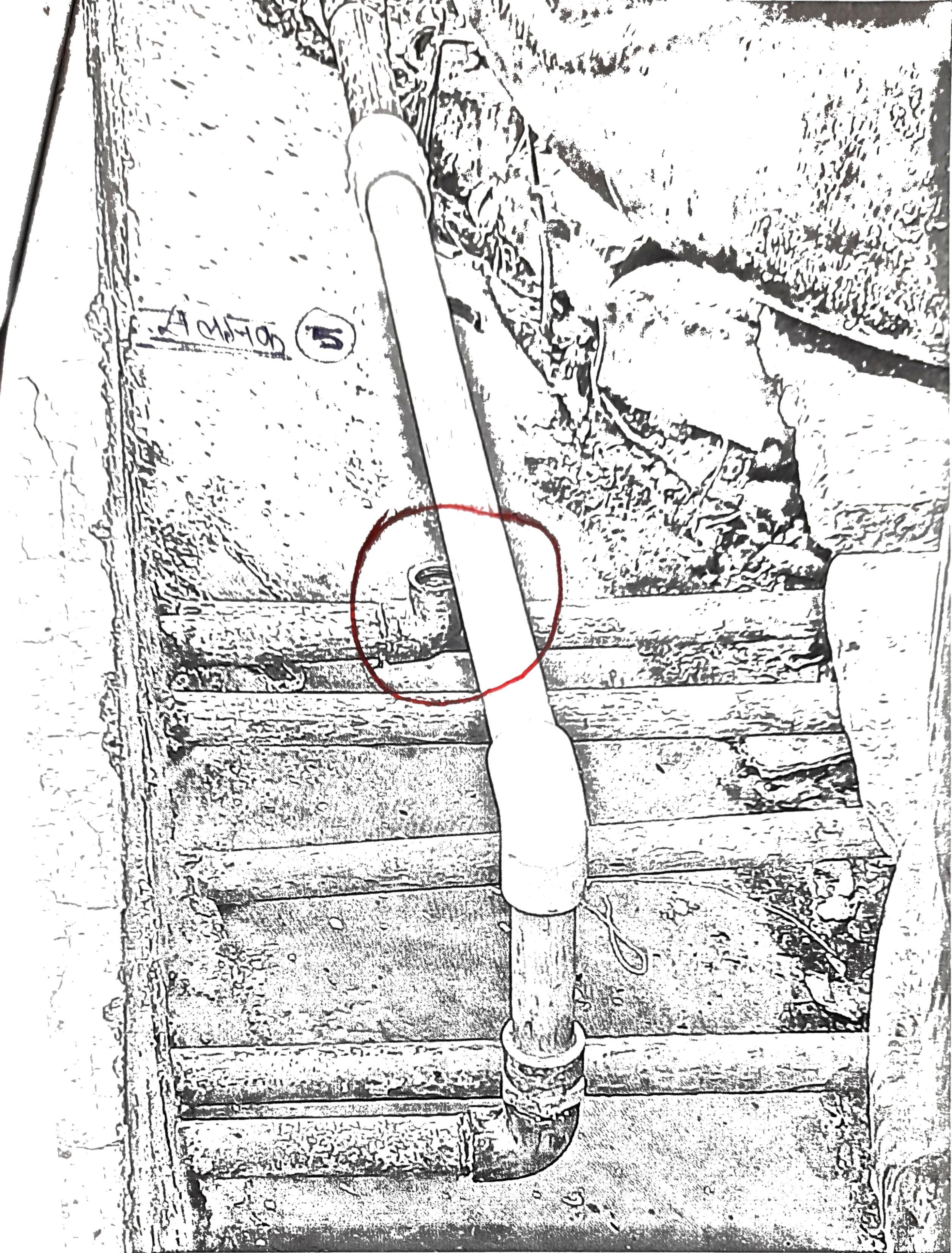
5

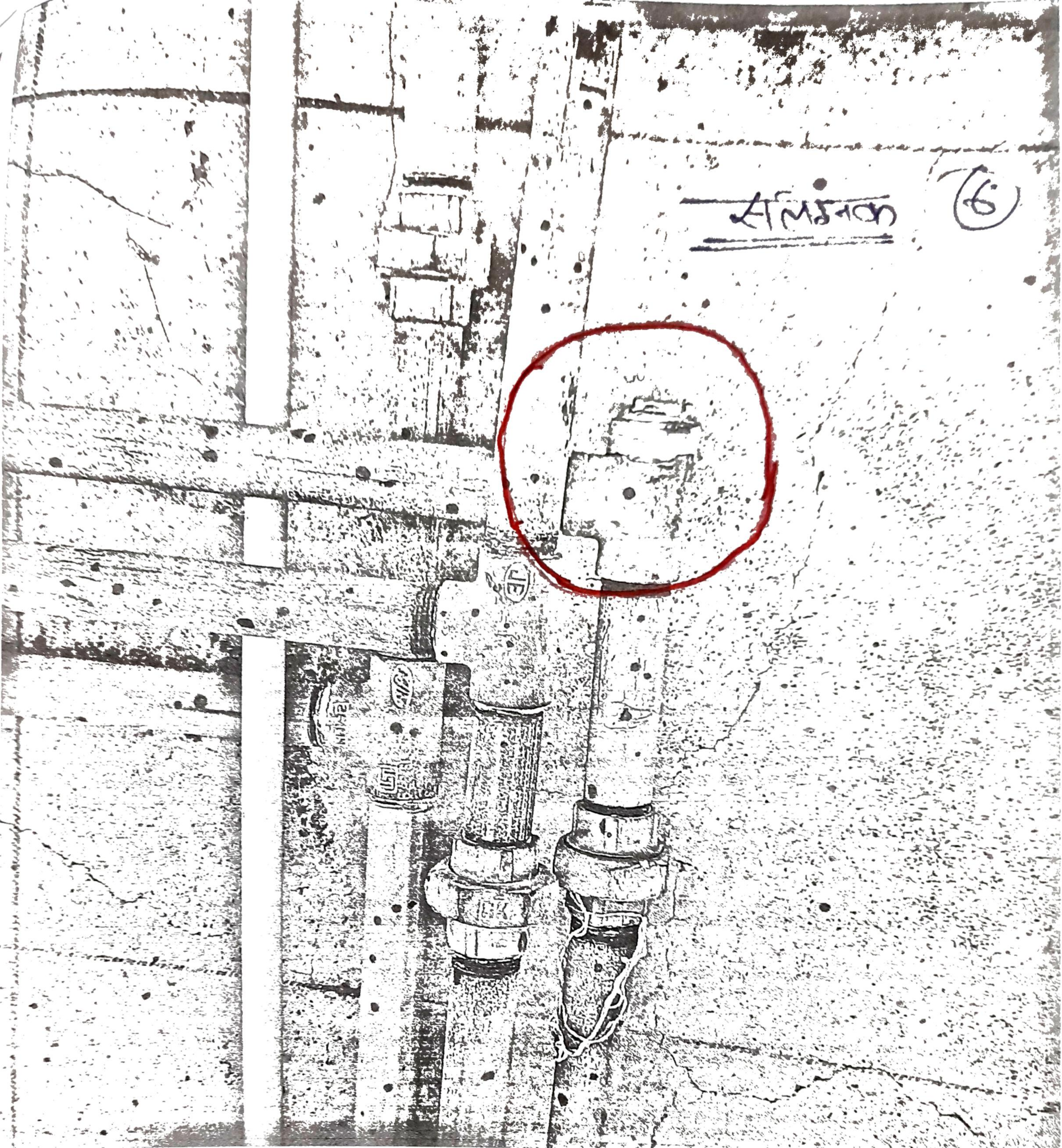

समिडनक
(6)

17-5-2021

(1) प्रेषक :- श्री विमल प्रकाश वर्मा F.T.C. झाँसी 14/5/21

विषय :- आवास सं० B-6 जजेस कॉलोनी सदर बाजार झाँसी में स्थित सरकारी टैंक व पाइप लाइन को क्षतिग्रस्त किये जाने के सम्बन्ध में

संलग्नक :- (छायाप्रति) कुल 6 वर्क

सेवा में, श्रीमान अपर जिला जज एवं सदस्य झाँसी/प्रभारी अधिकारी नजारत झाँसी

पेशकार
आवास जी.डी.टी.(?) कक्ष सं०-8 झाँसी

नजारत
जिला जजी
झाँसी

18.5.21

सेवा में श्रीमान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/प्रभारी अधिकारी नजारत झाँसी

विषय- आवास सं० B-6 जजेस कॉलोनी सदर बाजार झाँसी में स्थित सरकारी टैंक व पाइप लाइन को क्षतिग्रस्त किये जाने के संबंध में सूचना दिनांक 18-5-21 संलग्नक फोटोग्राफ कुल (6) वर्क

18-5-21
नजारत
जिला जजी
झाँसी

28-5-21

श्रीमान प्रभारी अधिकारी नजारत
मैं आवास B-6 जजेज कम्पाउन्ड में
जल पाइप लाइन व 0310032700029
कनेक्शन व इन्टरनेट की सुविधा
प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में

28-05-21
नजारत(?)

प्रेषक विमल प्रकाश आर्य
अपर सत्र न्यायाधीश(F. T. C.) झाँसी।
(चौदहवी वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

सेवा में प्रभारी अधिकारी नजारत
जिला झांसी।

विषयः- विश्राम कक्ष, शौचालय, आशुलिपिक कक्ष, न्यायालय कक्ष में साफ- सफाई व सेनीटाईजेशन विगत कई दिनों से न होने के संबंध में।

महोदय

अवगत कराना है कि मेरे न्यायालय में साफ सफाई व सेनीटाईजेशन निरन्तर नहीं किया जा रहा है। साफ- सफाई व सेनीटाईजेशन के संबंध में पूर्व में भी मेरे द्वारा पत्र के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है, उसके बावजूद मेरे न्यायालय कक्ष, विश्राम कक्ष, शौचालय व आशुलिपिक कक्ष में विगत कई दिनों से निरन्तर न तो साफ- सफाई हो रही है और न ही निरन्तर सेनीटाईजेशन किया जा रहा है।

सूचना सादर प्रेषित।

भवदीय

दिनांक- 04. 02. 2022

(विमल प्रकाश आर्य)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(F. T. C.) झाँसी।
(चौदहवी वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

संलग्नकः-
पेशकार की आख्या (मूल) ।

प्रतिलिपिः- श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया को सादर सूचनार्थ।

04.02.2022

(विमल प्रकाश आर्य)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(F. T. C.) झाँसी।
(चौदहवी वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

सेवा में

श्रीमान [illegible] झाँसी

विषय:- [illegible] सफाई होने के
[illegible] में आख्या [illegible] जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय
[illegible] 9:30 A M पर खोल दिया गया।
[illegible] कोई भी सफाई कर्मचारी सफाई करने
आज तक नहीं आया है।

श्रीमान जी की सेवा में आख्या
सादर प्रेषित।

दि० 04-02-22

प्रार्थी

बाल्मीकि साहू
लिपिक/रीडर
न्याया० ADJ/[illegible]
झाँसी